

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-84/2018/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती आभा जैन, नर्स-2, पदरथापन अधीन राजकीय जयपुरिया जिला चिकित्सालय, जयपुर को घूमने हेतु विदेश यात्रा(मलेशिया) जाने की अवधि दिनांक 20.04.2019 से 29.04.2019 तक 10 दिवस की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगी।

उक्त स्वीकृति संयुक्त शासन सचिव, (गुप-3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-35(28)/चिस्वा/गुप-3/2017/ दिनांक 16.11.17 के अनुसरण में जारी की जाती है।




(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/ए-84/2018/ 579

दिनांक:- 15-4-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया जिला चिकित्सालय, जयपुर
2. श्रीमती आभा जैन, नर्स-2, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी,
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. आदेश पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर